हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(ज)(20)एचजेयू/शैक्ष./शि./प्रवेश/2023/1292 दिनांकः 06.06.2023

आदेश

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर, अधिनियम, 2019 की धारा 7 (ख) एवं (ग) के अनुसरणमें विभिन्न अध्ययन बोर्डों, विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार परप्रवेश समिति के प्रस्तावानुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023–24 में निम्नांकित पाठ्य–योजनाएँ मय उनके सम्मुख अंकित विवरण अनुसार स्तर, अवधि, सीट आदि संचालित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है:–

क्र.सं		विभाग/पाठ्य–योजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
1.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग					
	I	एमए : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	स्नातकोत्तर	दो वर्ष	30	नियमित
	II	पीजी डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	पीजी डिप्लोमा	एक वर्ष	30	स्ववित्तपोषित
	III	पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म	पीजी डिप्लोमा	एक वर्ष	30	स्ववित्तपोषित

क्र.सं		विभाग/पाठ्य–योजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
2.	मीडिया अध्ययन विभाग					
	I	एमए : मीडिया अध्ययन	स्नातकोत्तर	दो वर्ष	30	नियमित
	II	पीजी डिप्लोमा इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग	पीजी डिप्लोमा	एक वर्ष	30	स्ववित्तपोषित

क्र.सं		विभाग/पाठ्ययोजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
3.	मीडिया संगठन और जनसंपर्क विभाग					
	I	एमए : विज्ञापन और जनसंपर्क	स्नातकोत्तर	दो वर्ष	30	नियमित

क्र.सं		विभाग/पाठ्य–योजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
4.	नव मीडिया विभाग					
	I	एमए : न्यू मीडिया	स्नातकोत्तर	दो वर्ष	30	नियमित

क्र.सं		विभाग/पाठ्य–योजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
5.	विकास संचार विभाग					
	I	एमए : विकास संचार	स्नातकोत्तर	दो वर्ष	30	नियमित

06/6/2023

	II	पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एण्ड मास कम्यूनिकेशन	पीजी डिप्लोमा	एक वर्ष	30	स्ववित्तपोषित

क्र.सं		विभाग / पाठ्य–योजना	स्तर	अवधि	सीट	नियमित / स्ववित्तपोषित
6.	बीए–जेएमसी					
	I	बीए–जेएमसी	स्नातक	तीन वर्ष	120	नियमित

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/6/2023

(अयूब खान)
RAS
कुलसचिव

क्रमांकः प.2(ज)(20)एचजेयू / शैक्ष. / शि. / प्रवेश / 2023 / 1293-05 दिनांकः 06.06.2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक / अकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर।
5. उपकुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
6. समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक), शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, जयपुर।
7. कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता / जनसंचार संकाय, एचजेयू, जयपुर।
8. कार्यकारी समस्त विभागाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर।
9. समन्वयक, शोध केंद्र, एचजेयू, जयपुर।
10. संबंधित श्री / श्रीमती / डॉ............................ ।
11. सहायक कुलसचिव, जीएडी एवं स्टोर / संस्थापन एवं शैक्षणिक, एचजेयू, जयपुर।
12. लेखा / सामान्य प्रशासन / स्टोर / संस्थापन / शैक्षणिक अनुभाग, एचजेयू, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

06/6/2023
कुलसचिव

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(ज)(20)एचजेयू/शैक्ष./शि./प्रवेश/2023/1278 दिनांकः 06.06.2023

आदेश

विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संख्या की अभिवृद्धि एवं समय पर अध्ययन–अध्यापन कार्य शुरू करने के प्रयोजन से विद्यापरिषद् एवं प्रबन्ध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11 (19) में कुलपति महोदय को प्रदत्त विशेष शक्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति, 2023–24 के नियम 1.1.1 एवं 2.1.1 में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि:

i. बीए–जेएमसी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए वे सभी विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जिनका सत्र 2022–23 की 12 वीं कक्षा (सीनियर सैकंडरी) का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। परिणाम आने पर वे अपने अंक आवेदन–पत्र में अपलोड करेंगे। हालांकि, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश अनंतिम होगा और प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही उनका प्रवेश मान्य होगा। इनका अंतिम प्रवेश इस परिणाम व मेरिट पर निर्भर करेगा।

ii. एमए एवं पीजी डिप्लोमा की विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में वे विद्यार्थी भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो सत्र 2022–23 की स्नातक अंतिम वर्ष/सैमेस्टर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रवेश हेतु इनकी वरीयता की गणना स्नातक पाठ्य–योजना की अंतिम वर्ष/सैमेस्टर से पूर्व तक के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी और उन्हें अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। परिणाम आने पर वे अपने अंक आवेदन–पत्र में अपलोड करेंगे। हालांकि, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश अनंतिम होगा और प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही उनका प्रवेश मान्य होगा। इनका अंतिम प्रवेश इस परिणाम व मेरिट पर निर्भर करेगा।

iii. यदि 12 वीं तथा स्नातक अंतिम वर्ष/सैमेस्टर के परीक्षा परिणाम आने पर ऐसे अस्थाई प्रवेशित अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनका अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें आवेदन–पत्र के शुल्क के अलावा जमा किया गया शुल्क नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम आने पर यदि ऐसे अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बढ़ने के कारण उसकी वरीयता प्रवेश योग्य हो जाती है, तो उक्त पाठ्य–योजनाओं में स्थान रिक्त रहने पर अथवा स्थान सृजित कर उन्हें वहाँ प्रवेश दिया जा सकेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

06/6/2023

(अयूब खान)
RAS
कुलसचिव

क्रमांकः प.2(ज)(20)एचजेयू/शैक्ष./शि./प्रवेश/2023/1279-91 दिनांकः 06.06.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर।

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक/अकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर।
5. उपकुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
6. समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक), शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, जयपुर।
7. कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता/जनसंचार संकाय, एचजेयू, जयपुर।
8. कार्यकारी समस्त विभागाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर।
9. समन्वयक, शोध केंद्र, एचजेयू, जयपुर।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/डॉ.............................।
11. सहायक कुलसचिव, जीएडी एवं स्टोर/संस्थापन एवं शैक्षणिक, एचजेयू, जयपुर।
12. लेखा/सामान्य प्रशासन/स्टोर/संस्थापन/शैक्षणिक अनुभाग, एचजेयू, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

06/6/2023

कुलसचिव

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(ज)(24)एचजेयू/शैक्ष./शि./शुल्क/2023/1347 दिनांकः 07-6-2023

आदेश

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम 2019 की धारा 5(i) व (ii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 7 (ञ) के अनुसरण में समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक), शैक्षणिक परिसर, एचजेयू के प्रस्तावानुरूप विद्यापरिषद, वित्त समिति एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः

प्रवेश आवेदन शुल्क
सत्र 2023–24

(क) स्नातक पाठ्य–योजना हेतुः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा/अजजा संवर्ग
1.	स्नातक पाठ्यक्रम	रुपये 500	रुपये 350

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्य–योजना हेतुः

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा/अजजा संवर्ग
1.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	रुपये 500	रुपये 350

(ग) पीजी डिप्लोमा :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समस्त संवर्ग
1.	पीजी डिप्लोमा	रुपये 350

सत्र 2023–24 में बीए–जेएमसी, एमए और पीजी डिप्लोमा पाठ्य–योजनाओं की शुल्क संरचना

क्र. सं.	मद	विवरण	बीए–जेएमसी शुल्क (रुपये)	एमए शुल्क (रुपये)	एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा (स्ववित्तपोषी) शुल्क (रुपये)
1.	प्रवेश शुल्क	एक बार में	2000	3000	3000
2.	विद्यार्थी धरोहर राशि	एक बार में (वापसी योग्य)	2000	2000	2000
3	कम्प्यूटर लैब शुल्क	एक बार में	1000	1000	1000
4.	स्टूडियो शुल्क	एक बार में, उपलब्धता की स्थिति में	1000	1500	————
5.	पहचान पत्र शुल्क	प्रतिवर्ष	100	100	100
6.	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	प्रतिवर्ष	100	100	100
7.	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	प्रतिवर्ष	100	100	————
8.	छात्र संघ चुनाव शुल्क	प्रतिवर्ष	200	200	————

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

9.	क्रीड़ा शुल्क	प्रतिवर्ष उपलब्धता की स्थिति में	200	200	————
10	शिक्षण शुल्क	प्रति सैमेस्टर	3300	5500	8800
11	पुस्तकालय शुल्क	प्रति सैमेस्टर	200	200	200
12	परीक्षा शुल्क	————	200 प्रति पेपर	200 प्रति पेपर	200 प्रति पेपर
13	परीक्षा शुल्क	प्रति सैमेस्टर	550*	550**	———
14	बकाया पेपर शुल्क	प्रति पेपर	220	220	220
15	पुर्नमूल्यांकन शुल्क	प्रति पेपर	330	330	330
16	संवीक्षा शुल्क	प्रति पेपर	165	165	165
17	अंतर विभागीय शुल्क	आवश्यकतानुसार	————	100	————
18	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	आवश्यकतानुसार	500	500	500
19	अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	आवश्यकतानुसार	500	500	500
20	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	आवश्यकतानुसार	200	200	200
21	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	100	100	100
22	चरित्र प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	50	50	50
23	दीक्षांत/डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट शुल्क	एक बार में	700	700	700
24	एल्युमनी एसोसिएशन सदस्यता शुल्क	एक बार में	500	500	500
25	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	————	————	——	————
26	प्रकाशन शुल्क	————	————	——	————
27	विषय परिषद शुल्क	————	————	——	————
28	विकास कोष शुल्क	प्रति वर्ष	200	200	200
29	पार्किंग शुल्क	————	————	——	————

*** बीए–जेएमसी पाठ्यक्रम के पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के लिए लागू।**

**** एमए–जेएमसी पाठ्यक्रम के पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के लिए लागू।**

शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क की छूट संबंधी प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की छात्राओं/महिलाओं से, स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विद्यार्थियों को क्रीडा एवं स्टूडियो शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
3. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अविभावक आयकरदाता नहीं हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के हैं और ऐसे भी विद्यार्थी जो गैर आयकरदाता पूर्व–सैन्य जवानों के पालित हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
4. ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पालित/आश्रित (या जो स्वयं पूर्व रक्षा कर्मचारी हैं) जो 1962 के नेफा/लद्दाख ऑपरेशन और 1971 के भारत–पाक युद्ध में या तो स्थायी तौर पर अक्षम या शहीद हो गए, उन्हें शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते कि –

    i. वह परिवार राजस्थान में स्थायी तौर पर बस गया हो,

ii. परिवार को 400 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा की पेंशन न मिल रही हो, तथा

iii. क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कमांडिंग अफसर से प्रमाणपत्र की नकल प्रस्तुत करे।

5. जो विद्यार्थी विशेष योग्यजन/दिव्यांग हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें कम से कम कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित और मेडिकल अफसर से सह हस्ताक्षरित स्थायी विशेष योग्यजन/दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. दृष्टि शक्ति और श्रव्य शक्ति से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा और शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
7. स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शहीदों के पालितों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा (शहीद राजस्थान के स्थायी निवासी रहे हों)।

टिप्पणियाँ

i. कोई अन्य शुल्क/छूट जो यहाँ वर्णित नहीं हैं, के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

ii. विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन अकादमिक वर्ष के भीतर अगर दावा नहीं किया जाता तो सभी जमा राशि जब्त मानी जाएगी।

iii. विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय द्वारा निर्गत "विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा फॉर्म" सभी विद्यार्थियों को भरना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अयूब खान)
RAS
कुलसचिव

क्रमांकः प.2(ज)(24)एचजेयू/शैक्ष./शि./शुल्क/2023//1348–1360 दिनांकः 07-06-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक/अकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर।
5. उपकुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
6. समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक), शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, जयपुर।
7. कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता/जनसंचार संकाय, एचजेयू, जयपुर।
8. कार्यकारी समस्त विभागाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर।
9. समन्वयक, शोध केंद्र, एचजेयू, जयपुर।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/डॉ............................।
11. सहायक कुलसचिव, जीएडी एवं स्टोर/संस्थापन एवं शैक्षणिक, एचजेयू, जयपुर।
12. लेखा/सामान्य प्रशासन/स्टोर/संस्थापन/शैक्षणिक अनुभाग, एचजेयू, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान